प्रेस नोट दिनांक 07.05.2021

एसटीएफ, क्राईम ब्रांच व गगहा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 01–01 लाख के 02 शातिर इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनाक–10.03.2021 को रितेश मौर्या एवं 31.03.2021 को शम्भू मौर्या एवं संजय पाण्डेय की थाना गगहा क्षेत्रान्तर्गत जनपद गोरखपुर की हत्या कर सनसनी फैलाने वाला_अपराधी_सन्नी सिंह एवं युवराज सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

1–सन्नी सिंह उर्फ मृगेन्द्र सिंह पुत्र उग्रसेन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम डुमरी,थाना गगहा, जनपद गोरखपुर।

2–युवराज सिंह उर्फ राज पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम गगहा,थाना गगहा, जनपद गोरखपुर।

बरामदगी–

1– एक अदद 9 एम0एम0 पिस्टल, दो अदद मैगजीन व छःअदद जिन्दा कारतूस 9 एम0एम0

2– दो अदद 32 बोर पिस्टल व चार अदद मैगजीन व तेरह अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

3– एक मोबाइल JOY कम्पनी दो अदद सिम (Airtel , Vi)

4– एक अदद यूको बैक का रूपे कार्ड

5– एक अदद पैन कार्ड

6– एक अदद निर्वाचन कार्ड

7– एक अदद यात्री कार्ड दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन

8– 3000 नगद

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

जनपद गोरखपुर के थाना गगहा क्षेत्रान्तर्गत ओ0पी0 मेमोरियल स्कूल के बाये तरफ बन्द पडे कृष्णानन्द पाण्डेय के ट्यूबवेल के पास स्थित बगीचे मे दिनांक–07.05.2021 समय 15.30 बजे।

अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर एवं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर, के निर्देशन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर के निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक टीम एवं जनपद गोरखपुर की स्वाट टीम एवं प्रभारी निरीक्षक गगहा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर एक एक लाख रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी 1–सन्नी सिंह उर्फ मृगेन्द्र सिंह, 2–युवराज सिंह उर्फ राज, के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही किया जा रहा था।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों आपराधी जनपद गोरखपुर के दक्षिणान्चल में दियारा व बागिचे में छूप छुपा के रह रहे है एवं क्षेत्र में रंगदारी वसूलने के फिराक में है। इसी क्रम में जनपद गोरखपुर की स्वाट टीम से अभिसूचनाओ का आदान प्रदान किया गया। इसी क्रम में आज दिनाँक. 07.05.2021 को थाना गगहा चौराहे पर स्वाट टीम के साथ अभिसूचनाओ का विश्लेषण किया जा रहा था कि मुखबिर खास ने चौराहे पर आकार बताया कि सन्नी एवं राज उपरोक्त ओ0पी0 मेमोरियल स्कूल के बाये तरफ बन्द पडे कृष्णानन्द पाण्डेय के ट्यूबवेल के पास स्थित बगीचे में है। उक्त सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक गगहा को चौराहे पर बुलाकर सूचना से अवगत कराकर मय पुलिस टीम के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर मय मुखबिर के रवाना हुआ। सरकारी वाहनों को पकडिहवा चौराहे से तीन सौ मीटर पहले सडक के किनारे सरकारी चालक की देखरेख में छोडकर मैं निरीक्षक मय पुलिस टीम के मुखबिर के बताये स्थान की ओर पैदल ही अपने को छिपते छिपाते पहुॅचे। सडक के किनारे से मुखबिर खास ने इशारे से ट्यूबवेल और बागीचे के तरफ दिखाया कि इसी में सन्नी और राज है और मुखबिर चला गया। तत्काल एक टीम मुझ निरीक्षक के नेतृत्व में दक्षिण दिशा की ओर से और एक टीम प्रभारी निरीक्षक गगहा श्री सुधीर सिंह के नेतृत्व में पूर्व दिशा की ओर एक टीम स्वाट टीम निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला के नेतृत्व में पश्चिम दिशा की ओर से ट्यूबवेल और बागीचे की तरफ तेजी से बढे कि एक पेड़ के नीचे दो व्यक्ति आपस में बात करते हुये दिखाई दिये कि हम पुलिस वालों को देखकर भागने लगे कि एकबारगी तीनो टीम द्वारा घेरमार कर आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त दोनो सन्नी व राज को समय लगभग **15.30** बजे गिरफ्तार कर लिया गया। जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्तगण सन्नी व राज से बारी–बारी पूछताछ की गयी तो अभियुक्त सन्नी ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2013 में रस्सी की खरिदारी के पैसे को लेकर दुर्वासा गुप्ता से विवाद हो गया था। उक्त विवाद के कारण ही

मैनें अपने भाई टीका सिंह, सिंहासन यादव, अजय नारायाण सिंह के साथ मिलकर दुर्वासा गुप्ता, दुर्वासा गुप्ता की पत्नी और दुर्वासा गुप्ता का पुत्र बाबूलाल इन तीनो की हत्या की गयी थी। बाकी अन्य तीन लोग घायल हुये थे। वर्ष 2020 में उक्त मुकदमें में जमानत पर रिहा होकर बाहर आया। उक्त मुकदमें में ही वादी बांके लाल गुप्ता से सुलह कराने के लिए मैं दबाव बना रहा था। जिसमे गगहा के ही निवासी रितेश मौर्या व शम्भू मौर्या द्वारा विरोध किया जा रहा था तथा उक्त हत्या के मुकदमे में रितेश मौर्या व शम्भू मौर्या द्वारा लगातार पैरवी की जा रही थी। जिस कारण मैने इन दोनो की हत्या करने का मन बना लिया एवं सिहांसन यादव उर्फ राम सिंहासन यादव पुत्र–रामनाथ यादव निवासी–नेवादा थाना गगहा जनपद गोरखपुर जो सन् 2013 के तिहरे हत्या काण्ड में मेरे साथ अभियुक्त था, ने कहा कि अगर ये दोनो नहीं मारे जायेगें तो मुकदमें में सुलह नहीं हो पायेगा इसलिये इन दोनों को मारना जरूरी है मेरे पास एक 32 बोर की पिस्टल एवं छः कारतूस थे इस पर सिहॉसन यादव ने मुझे एक 32 बोर की पिस्टल व आठ कारतूस भी दिया। सिहासन यादव ने बताया कि उसकी अच्छी जान पहचान पूर्व ब्लाक प्रमुख बडहलगंज विजय यादव व गोरखपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव से है। सिंहासन यादव ने यह भी बताया था कि ये दोनों लोग पैरवी करेगे और हर जगह साथ खड़े रहेंगें। कई दिन रितेश मौर्या की रैकी करने के बाद मुझे ज्ञात हो गया कि रात में 8–9 बजे के बीच रितेश मौर्या गगहा चौराहे पर रूकता था। रितेश मौर्या का वही बैठका था। दिनांक 10.03.2021 को गगहा चौराहे पर ही जब रितेश मौर्या मौजूद था उसी समय बाइक से मै और युवराज पहुचे बाइक युवराज चला रहा था। मेरे पास 32 बोर की दो पिस्टल और चार मैगजीन व चौदह कारतूस थे। वही चौराहे पर पहॅूचकर मैने रितेश मौर्या की गोली मार कर हत्या कर दिया था। रितेश मौर्या की हत्या के बाद हम लोग राजू चौधरी की बहन के यहा ग्राम मलौली सोहगौरा रोड जनपद गोरखपुर गये। राजू चौधरी अपने बहन के यहा रहता था फिर अगले दिन हम लोग लखनऊ के लिये मोटरसाइकिल से निकल गये। लखनऊ में हम लोग अपने मित्र राजू मिश्रा आदित्य मिश्रा के भाई के यहॉ मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में रूके थे। आदित्य मिश्रा से मेरी पुरानी जानपहचान ग्राम नर्रे, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर के ही निवासी अंशुमान चन्द उर्फ प्रिंस चन्द पुत्र राम चन्द के माध्यम से हुई थी। लखनऊ में एक दिन रूकने के बाद मोटरसाइकिल और असलहे को वही राजू मिश्रा के आवास पर ही छोड़ कर हम दोनो लोग बस से मेरठ चले गये। मेरठ में सारिक चौधरी जो उस समय तिहाड़ जेल दिल्ली में बन्द था, से फोन से बात हुयी तो सारिक चौधरी ने उस्मान व शाहरूख नाम के लड़के को मेरे पास भेजा मेरठ में शाहरूख हम लोगों को एक डेयरी फार्म पर ले गया वहॉ से फिर डिजायर कार से शाहरूख, उस्मान के साथ हम दोनो को दरियापुर सोनू के घर ले गया वहा हम 10–12 दिन रूकें। सोनू भी इस समय तिहाड़ जेल में ही बन्द है। हम लोगों को अभी शम्भू मौर्या की हत्या करनी थी यह बात मैने शाहरूख को बतायी तब शाहरूख ने मुझे एक 9 एम0एम0 की पिस्टल और दस कारतूस 9 एम0एम0 का दिया तथा चार गोली चलवाकर शाहरूख ने पिस्टल का अभ्यास भी करवाया तथा 32 बोर का भी चार कारतूस दिया। शाहरूख ने कहा कि इससे फायर पावर मजबूत रहेगा। फिर 10–12 दिन बाद हम लोग वापस बस से लखनऊ आ गये। राजू मिश्रा के आवास से बाकी दोनों असलहा कारतूस व मैगजीन और मोटरसाइकिल लेकर गोरखपुर आ गये। गोरखपुर में ही राजू चौधरी के बहन के गॉव मलौली, जो सोहगौरा वाले रास्ते पर स्थित है, राजू वहीं रहता था पहुॅचे। हम लोगों को पता था कि शम्भू मौर्या अपने दुकान पर ही रहता है। राजू चौधरी के घर से मोटरसाइकिल से शम्भू मौर्या के दुकान के आगे़ जाकर सडक के किनारे छिपकर खडे हो गये। हम दोनो लोग हेलमेट पहने हुए थे। युवराज के पास एक 9 एमएम पिस्टल व छः कारतूस थी और मेरे पास दो 32 बोर की पिस्टल और चार मैगजीन और पर्याप्त कारतूस था। हमारा उद्देश्य हर हाल में शम्भू मौर्या की हत्या करना था। दिनांक 31.03.2021 को लगभग 7.30 बजे शाम को जब शम्भू मौर्या अपने दुकान गीतांजली इलेक्ट्रानिक वर्क्स के शोरूम के बाहर आया जिसे देखते ही हम लोग शम्भू मौर्या की दुकान पर पहुॅचे उस समय भी युवराज ही मोटरसाइकिल चला रहा था। मैने अपने साथी राज के साथ ही 31.03.2021 को 7:30 बजे शाम उसकी दुकान पर पहुच कर शिव शम्भू मौर्या को गोली मार दिया। उसे बचाने उक्त शोरूम का ही कर्मचारी संजय पाण्डेय आया उसको भी हम लोगों ने गोली मारकर हत्या कर डाली। शम्भू मौर्या व संजय पाण्डेय की हत्या के बाद हम लोग मोटरसाइकिल से ही राजू चौधरी के पास मलौली गॉव पहुचे। वही रूके फिर राजू चौधरी हम लोगों को पन्द्रह हजार रूपये दिया फिर राजू चौधरी ने अपने गॉव डागीपार थाना खोराबार के पास कहीं हमलोगों को रूकवाया फिर 2–3 दिन बाद हमलोग मोटरसाइकिल से राजू मिश्रा के मोहनलालगंज लखनऊ स्थित आवास पर आ गये। वही 7–8 दिन रूकने के बाद फिर बाइक व असलहा पुनः छोड़कर बस से मेरठ चले गये पुनः मेरठ से उस्मान और शाहरूख से मिले जहॉ से उस्मान व शाहरूख के साथ हमलोगों को सोनू के घर दरियापुर दिल्ली ले गया वहा 10–12 दिन रूकने के बाद वापस मोहनलालगंज लखनऊ राजू मिश्रा के आवास पर आये वहॉ से कुछ दिन रूकने के बाद बाइक व असलहा लेकर हमलोग गोरखपुर चले आये। तभी से गोरखपुर व आस पास के जनपदों में छिपकर रह रहे थे एवं व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के प्रयास में थे। मैने इन्ही दोनों 32 बोर की पिस्टल से रितेश मौर्या, शम्भू मौर्या और संजय पाण्डेय की हत्या की थी।

युवराज सिंह उर्फ राज पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम गगहा,थाना गगहा, जनपद गोरखपुर ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 10.03.2021 को सन्नी ने मेंरे मोबाइल नम्बर 8009290416 पर फोन किया फिर मै सन्नी से मिला। सन्नी ने मुझे किसी अन्य नम्बर से फोन किया था जो मुझे याद नही है। दिनांक 10.03.2021 को रितेश मौर्या की हत्या की घटना में मै बाइक चला रहा था। उस हत्या के बाद राजू चौधरी की बहन के यहा ग्राम मलौली जनपद गोरखपुर गये राजू चौधरी अपने बहन के यहा रहता था। फिर अगले दिन मोटरसाइकिल से लखनऊ के लिये निकल गये ।हम लोगों को खर्च के लिये राजू चौधरी ने ही पैसा दिया था। लखनऊ से बस से हम लोग मेरठ गये। मेरठ मे शाहरूख डेयरी फार्म चलाता था वह हमें अपने डेयरी फार्म में ले गया फिर डिजायर कार से शाहरूख, मै और सन्नी दरियापुर गये। दिनांक 31.03.2021 को 7:30 बजे शाम गीतांजली इलेक्ट्रानिक वर्क्स के शोरूम पर पहुच कर शिव शम्भू मौर्या को गोली मार दिया। उसे बचाने उक्त शोरूम का ही कर्मचारी संजय पाण्डेय आया उसको भी हम लोगों ने गोली मारकर हत्या कर डाली, क्योकि वो हम लोगों को पहचान लिया था। इस घटना के बाद वापस गोरखपुर आने पर राजू चौधरी ही हमलोगों को गोरखपुर में रखवाया था दोनो हत्याओं के बाद हम लोग बाइक से ही घटनास्थल से फरार हो गये थे। मै हर समय सन्नी के साथ ही रहा और जहॉ भी सन्नी रूकता था वहॉ मुझे भी साथ रखता था।

सन्नी सिंह उर्फ मृगेन्द्र सिंह पुत्र उग्रसेन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह आपराधिक इतिहासः–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	312 / 2007	307,323,504,506,427 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
02	238 / 2010	147,148,323,504,506,308 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
03	34 / 2013	3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट	गगहा	गोरखपुर
04	307 / 2012	307 भाद0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट	गगहा	गोरखपुर
05	35 / 2013	452,307,120बी 302 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
06	79 / 2013	3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	गगहा	गोरखपुर
07	436 / 2020	506 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
08	नील / 2021	3 / 4 गुण्डा ऐक्ट	गगहा	गोरखपुर
09	75 / 2021	387,504,506 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
10	83 / 2021	302 120 बी 34 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
11	103 / 2021	302 120 बी 34 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
12	128 / 2021	307 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर

युवराज सिंह उर्फ राज पुत्र राकेश सिंह आपराधिक इतिहास–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	375 / 2019	354, 504,506 भा0द0वि0 व 9 / 10 पाक्सो एक्ट	गगहा	गोरखपुर
02	328 / 2020	147,323,325,452 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
03	233 / 2018	279 / 304ए भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
04	83 / 2021	302 120 बी 34 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
05	103 / 2021	302 120 बी 34 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर
06	128 / 2021	307 भा0द0वि0	गगहा	गोरखपुर